न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 807 / 2022

अनवान : –

1. पाला राम पुत्र प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जसवन्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. लिछमा पत्नी प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. गीता देवी पुत्री प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. सुनिता बाटू पुत्री प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/3/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 492 / 437 के ख0न0 327 / 2 की 8.5360है भूमि ख0न0 370 / 1 की 1.8590है0, ख0न0 39 की 3.6300है0, ख0न0 98 की 1.1380है0 कुल 15.1630है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज जाति छीपा (छीपी) निवासी सोनड़ी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज के नाम दर्ज है जो वादी का पिता है प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज का देहान्त हो चुका है। प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 4 ता 6, वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 की बहिने है तथा प्रतिवादीया स0 3, वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 की मा[illegible] कि उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना [illegible] / पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग क[illegible]त्याग वाद भूमि वादी [illegible] प्रतिवादी स0 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम द[illegible] करवा पाने के अधिक[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 7 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 492/437 ईएक्सपी–1, मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप सिंह ईएक्सपी–2, वारिसनामा ईएक्सपी–3, शपथ पत्र बाबत वारिसनामा ईएक्सपी–4 आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 492/437 के ख0न0 327/2 की 8.5360है0 भूमि ख0न0 370/1 की 1.8590है0, ख0न0 39 की 3.6300है0, ख0न0 98 की 1.1380है0 कुल 15.1630है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 492/437 के ख0न0 327/2 की 8.5360है भूमि ख0न0 370/1 की 1.8590है0, ख0न0 39 की 3.6300है0, ख0न0 98 की 1.1380है0 कुल 15.1630है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज जाति छीपा (छीपी) निवासी सोनड़ी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 807/2022

अनवान : –

1. पालाराम पुत्र प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जसवन्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. लिछमा पत्नी प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. गीता देवी पुत्री प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. सुनिता बाटू पुत्री प्रताप सिंह जाति छिपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 807 सन 2022 निर्णय दिनांक....28/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के काण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 492/437 के ख0न0 327/2 की 8.5360है भूमि ख0न0 370/1 की 1.8590है0, ख0न0 39 की 3.6300है0, ख0न0 98 की 1.1380है0 कुल 15.1630है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज जाति छीपा (छीपी) निवासी सोनड़ी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक प्रताप सिंह पुत्र ईन्द्राज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:37 IST
Reason: SelfAttested